न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 1051/2024

अनवान : –

1. पंकज कुमार पुत्र बाबुलाल जाति सुथार निवासी वार्ड स0 3 रामदेव मन्दिर के पास नोहर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम

1. सुशील कुमार पुत्र बाबुलाल जाति सुथार निवासी वार्ड स0 03 रामदेव मन्दिर के पास नोहर तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांकः 10/1/25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 78/78 के ख0न0 283/2 की 7.4870 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादी स0 1 प्रत्येक के नाम 1/2 हिस्सा भूमि संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका रहने से आपस में सींव डोल आदि का झगड़ा बना रहता है तथा लगान के संबंध में तनाजात रहते है वादी व प्रतिवादी स0 1 एक ही परिवार के सदस्य है वादी के पूर्वजों ने वादग्रस्त भूमि का बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा मुताबिक बंटवारा ख0न0 283/2 के उत्तर तरफ की भूमि वादी को बंटवारा में मिली है तथा ख0न0 283/2 की दक्षिण तरफ की भूमि प्रतिवादी स0 1 को बंटवारा मे मिली है एवं इसी अनुसार वाद भूमि वादी व प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में है। वादी मुताबिक कब्जा काश्त व जमाबंदी में दर्ज हिस्सा अनुसार खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 78/78 के ख0न0 283/2 की 7.4870 हैक्ट भूमि पक्षकारान के मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार खाता व लगान अलग किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी स0 1 की तरफ से श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अधिवक्ता प्रतिवादी ने निवेदन किया की जवाब नही देना चाहते है वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी स0 2 पैरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी पेश की। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 12:17:21 IST
Reason: SelfAttested

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी नोहर

वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 78/78 के ख0न0 283/2 की 7.4870 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1. पंकज कुमार पुत्र बाबुलाल हि0 पूर्ण जाति सुथार सा0 नोहर खातेदार रहन हि0 पूर्ण पीएनबी शाखा नोहर– ख0न0 283/2/1 की 3.7042 हैक्ट
2. सुशील कुमार पुत्र बाबुलाल हि0 पूर्ण जाति सुथार सा0 नोहर खातेदार राहिन हि0 पूर्ण पीएनबी शाखा नोहर– ख0न0 283/2/2 की 3.7043 हैक्ट
3. पंकज कुमार, सुशील कुमार पि0 बाबुलाल जाति सुथार बहिब सा0 नोहर खातेदार राहिन पीएनबी शाखा नोहर– ख0न0 283/2/3 की 0.0785 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक ....10/12/25..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 12:17:21 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 1051/2024

अनवान : –

1. पंकज कुमार पुत्र बाबुलाल जाति सुथार निवासी वार्ड स0 3 रामदेव मन्दिर के पास नोहर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम

1. सुशील कुमार पुत्र बाबुलाल जाति सुथार निवासी वार्ड स0 03 रामदेव मन्दिर के पास नोहर तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1051 सन 2024 निर्णय दिनांक 10/12/25

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 78/78 के ख0न0 283/2 की 7.4870 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1. पंकज कुमार पुत्र बाबुलाल हि0 पूर्ण जाति सुथार सा0 नोहर खातेदार रहन हि0 पूर्ण पीएनबी शाखा नोहर– ख0न0 283/2/1 की 3.7042 हैक्ट
2. सुशील कुमार पुत्र बाबुलाल हि0 पूर्ण जाति सुथार सा0 नोहर खातेदार राहिन हि0 पूर्ण पीएनबी शाखा नोहर– ख0न0 283/2/2 की 3.7043 हैक्ट
3. पंकज कुमार, सुशील कुमार पि0 बाबुलाल जाति सुथार बहिब सा0 नोहर खातेदार राहिन पीएनबी शाखा नोहर– ख0न0 283/2/3 की 0.0785 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 10/12/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 12:17:21 IST
Reason: SelfAttested

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर